भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1725

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी संग्रहण और जीएसटी राजस्व

1725. श्री दीपक अधिकारी (देव):
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से अब तक राजस्व संग्रहण में हुई वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और देश की राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने में इसने किस प्रकार योगदान दिया है;

(ग) जीएसटी संग्रहण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कम निष्पादन करने वाले राज्यों की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) जीएसटी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार उनका सतत् विकास सुनिश्चित कर रही है;

(ङ) सरकार द्वारा कर अपवंचन को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि जीएसटी प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के समक्ष आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार को उच्च जीएसटी संग्रहण प्राप्त करने मे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो सामने आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सभी आपूर्तियों (घरेलू+आयात) पर सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख): इसके लागू होने के बाद से जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

	सकल राजस्व (करोड़ रु. में)	% वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष
2017-18*	7,40,650	
2018-19	11,77,368	$
2019-20	12,22,116	3.80%
2020-21	11,36,805	-7.00%
2021-22	14,83,291	30.50%
2022-23	18,07,680	21.90%
2023-24	20,18,249	11.60%
2024-25 (फरवरी 2025 तक)	20,12,720	$

* केवल 9 महीने के आंकड़े क्योंकि जीएसटी दिनांक 01.07.2017 से लागू की गई थी
$ वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती है

जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक कर के अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप देश के राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। इसने अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा दिया जो कि करदाता डेटा और कर योग्य राजस्व डेटा में हुई वृद्धि से प्रकट होता है। इसने व्यापारों को, व्यापक करों को हटाने, ऋण प्रवाह को कारगर बनाने, ढुलाई संबंधी समय और लागत को कम करने और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन जैसे अनेक लाभ प्रदान किए हैं।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 11 महीनों अर्थात् फरवरी तक जीएसटी संग्रहण में वृद्धि संबंधी राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक- ख** में दिया गया है।

सरकार ने जीएसटी में सुधार के लिए इस उत्तर के नीचे दिए गए भाग –ङ के अनुसार विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने उच्च राजस्व कमी का सामना करने वाले राज्यों के लिए राजस्व वृद्धि हेतु सुधार लाने के लिए समुचित उपाय/नीतिगत हस्तक्षेप सुझाने हेतु राज्यों के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है।

(घ): उपलब्ध डाटा से संबंधित अनुमानित क्षेत्र-वार सूचना दिसंबर 2024 में आयोजित जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र-वार राजस्व के और अधिक सटीक विश्लेषण तथा अन्य जीएसटी डाटा प्राप्त करने के लिए जीएसटी परिषद ने राज्यों के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र-वार विश्लेषण की समीक्षा करेगा और ऐसे क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों को पहचानेगा और संस्तुत करेगा जिन्हें नीतिगत हस्तक्षेप या प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता है।

(ङ): मास्टरमाइंड का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के उद्देश्य से, सीजीएसटी अधिनियम में पर्याप्त निवारक कानूनी प्रावधान हैं जो इस प्रकार हैं:

i. कर अपवंचन या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग की गई आईटीसी राशि या गलत तरीके से लिए गए रिफंड की राशि के लिए दण्ड;
ii. फर्जी आईटीसी के मामलों में शामिल करदाताओं के पंजीकरण का निलंबन/रद्दीकरण;
iii. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को ब्लॉक करना;
iv. सरकारी बकाये की वसूली के लिए संपत्ति/बैंक खातों आदि की अनंतिम कुर्की;

इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा डेटा विश्लेषण और अन्य आसूचना के माध्यम से फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। अब तक, प्रवर्तन कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों और व्यापार करने में सुगमता के महत्व के संबंध में राज्य और केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों के प्रवर्तन प्रमुखों के 2 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर जीएसटी में कई सुधार किए हैं जिसमें निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों का समाधान करने जैसे उपाय शामिल हैं। इन उपायों से जीएसटी अनुपालन में सुधार हुआ है और जीएसटी संग्रहण में वृद्धि हुई है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे में सुधार लाने और छूटों में कटौती के लिए जीएसटी दरों की जांच जैसे संरचनात्मक परिवर्तन;
(ii) कर अनुपालन में सुधार के उपाय जैसे ई-वे बिल को अनिवार्य बनाना, आईटीसी का मिलान, ई-चालान को अनिवार्य करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन-आधारित विश्लेषण का परिनियोजन, पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, गैर-फाइलरों पर जांच कार्रवाई, स्टाप-फाइलर्स, जोखिम वाले करदाताओं पर लक्षित निर्धारण-आधारित कार्रवाई, फास्ट टैग के साथ ई-वे बिल का एकीकरण आदि।
(iii) कर अपवंचन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सिस्टम आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण और सिस्टम द्वारा तैयार की गई रेड फ्लैग रिपोर्ट को केंद्रीय और राज्य कर प्राधिकरणों के साथ साझा किया जा रहा है।
(iv) इसके अलावा तकनीकी मुद्दों का सामना करने के लिए जीएसटीएन ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(क) करदाताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर और आईवीआर आधारित प्रणाली स्थापित की गई है।
(ख) जहां बड़ी संख्या में करदाताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है वहां उन शिकायतों के जांच और अन्वेषण के बाद जीएसटीएन समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाते हुए आईटी शिकायत निवारण समिति के साथ इस समस्या को साझा करता है।
(ग) आईटी शिकायत निवारण समिति के निर्णयों और निर्देशों के आधार पर जीएसटीएन इन तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए निर्णयों पर कार्यवाही करती है।
(घ) विवरणी दाखिल करने की अवधि को, जहां अपेक्षित हो, बढ़ाई भी जाती है।

(च): जी हाँ। सरकारों को उच्च जीएसटी संग्रहण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ जटिलता और अनुपालन बोझ; तैयार प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे का होना; आईटीसी का सत्यापन; राज्यों में विभिन्न पंजीकरण; आदि थीं। तथापि, समय के साथ, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने जीएसटी में कई सुधार किए हैं। इन उपायों से जीएसटी अनुपालन में सुधार हुआ है और जीएसटी संग्रहण में वृद्धि हुई है, जैसा कि ऊपर भाग (ङ) में विस्तृत रूप से दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय वर्ष-वार सकल जीएसटी संग्रहण

(करोड़ रु.में)

राज्य कोड	राज्य	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक)
		कुल	कुल	कुल
1	जम्मू और कश्मीर	5,246	6,704	6,580
2	हिमाचल प्रदेश	8,778	9,956	9,523
3	पंजाब	20,949	24,061	24,550
4	चंडीगढ़	2,365	2,771	2,675
5	उत्तराखंड	16,845	19,231	18,928
6	हरियाणा	86,668	1,02,914	1,08,714
7	दिल्ली	55,843	66,445	70,863
8	राजस्थान	45,458	50,174	49,286
9	उत्तर प्रदेश	87,970	1,01,693	1,02,256
10	बिहार	16,548	18,021	17,609
11	सिक्किम	3,156	3,707	3,714
12	अरुणाचल प्रदेश	1,023	1,308	1,027
13	नागालैंड	566	711	597
14	मणिपुर	615	670	642
15	मिजोरम	419	500	466
16	त्रिपुरा	884	1,053	1,034
17	मेघालय	2,076	2,260	1,924
18	असम	13,710	15,602	15,707
19	पश्चिम बंगाल	58,060	62,613	61,065
20	झारखंड	32,019	34,738	33,533
21	ओडिशा	49,442	54,748	55,119
22	छत्तीसगढ़	31,968	34,874	33,462
23	मध्य प्रदेश	36,232	42,174	40,899
24	गुजरात	1,14,221	1,25,168	1,24,654
25	दमन और दीव	3	3	2
26	दादर और नगर हवेली	3,771	4,333	4,023
27	महाराष्ट्र	2,70,346	3,20,117	3,28,321
29	कर्नाटक	1,22,822	1,45,266	1,46,066
30	गोवा	5,520	6,475	6,466
31	लक्षद्वीप	21	45	18
32	केरल	27,371	30,677	30,280
33	तमिलनाडु	1,04,377	1,21,329	1,19,320
34	पुदुचेरी	2,373	2,636	2,614
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	373	428	431
36	तेलंगाना	51,831	59,942	57,586
37	आंध्र प्रदेश	40,232	44,298	40,791
38	लद्दाख	333	481	497
97	अन्य क्षेत्र	2,609	2,615	2,252
99	केंद्र का अधिकार क्षेत्र	1,941	2,506	2,985
	जीएसटी संग्रहण (घरेलू)	**13,24,985**	**15,23,248**	**15,26,476**
	आयात	4,82,695	4,95,001	4,86,244
	कुल जीएसटी संग्रहण	**18,07,680**	**20,18,249**	**20,12,720**

अनुलग्नक-ख

वित्त वर्ष 2024-25 के 11 महीनों में राज्यों से एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व (घरेलू) में वृद्धि

करोड़ रु. में

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24 (फरवरी 2024 तक)	2024-25 (फरवरी 2025 तक)	विकास
27	महाराष्ट्र	292429	328321	12%
29	कर्नाटक	132252	146066	10%
24	गुजरात	113776	124654	10%
33	तमिलनाडु	110312	119320	8%
6	हरियाणा	93369	108714	16%
9	उत्तर प्रदेश	92606	102256	10%
7	दिल्ली	60625	70863	17%
19	पश्चिम बंगाल	57140	61065	7%
36	तेलंगाना	54543	57586	6%
21	ओडिशा	49639	55119	11%
8	राजस्थान	45376	49286	9%
23	मध्य प्रदेश	38200	40899	7%
37	आंध्र प्रदेश	40216	40791	1%
20	झारखंड	31495	33533	6%
22	छत्तीसगढ़	31731	33462	5%
32	केरला	28079	30280	8%
3	पंजाब	21971	24550	12%
5	उत्तराखंड	17501	18928	8%
10	बिहार	16029	17609	10%
18	असम	14058	15707	12%
2	हिमाचल प्रदेश	9104	9523	5%
1	जम्मू और कश्मीर	6103	6580	8%
30	गोवा	5910	6466	9%
26	दादर और नगर हवेली	3881	4023	4%
11	सिक्किम	3404	3714	9%
99	केंद्र का अधिकार क्षेत्र	2286	2983	30%
4	चंडीगढ़	2533	2675	6%
34	पुदुचेरी	2415	2614	8%
97	अन्य क्षेत्र	2419	2252	-7%
17	मेघालय	2047	1924	-6%
16	त्रिपुरा	933	1034	11%
12	अरुणाचल प्रदेश	1140	1027	-10%
14	मणिपुर	601	642	7%
13	नागालैंड	629	597	-5%
38	लद्दाख	440	497	13%
15	मिजोरम	450	466	4%
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	396	431	9%
31	लक्षद्वीप	43	18	-58%
25	दमन और दीव	2	2	-22%